

Publications	Editions	Published On
Business Remedies	Jaipur	17-08-2023
Nafa Nuksan	Jaipur	17-08-2023

## आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड

सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216

पंजीकृत कार्यालय: खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा-311021, राजस्थान  
फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फ़ैक्स: +91-1483-223361, 223479

कॉर्पोरेट कार्यालय : भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.)  
फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फ़ैक्स: +91-120-4277841

ईमेल: [rswm.investor@lnjbhilwara.com](mailto:rswm.investor@lnjbhilwara.com); वेबसाइट: <http://www.rswm.in>

### वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड की 62वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड ("कम्पनी") की 62वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओवीएम") के माध्यम से **शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 को 2:00 बजे अपराह्न 62वीं एजीएम** की आहूत सूचना में निहित व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक का स्थान खारीग्राम, पी.ओ. गुलाबपुरा – 311 021, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान माना जाएगा।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र सं. 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022, अपने पहले के परिपत्रों (परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 एवं 20/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 क्रमशः तथा उसके पश्चात् परिपत्र 02/2021, 21/2021 एवं 02/2022 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 एवं 5 मई, 2022 और साथ ही भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अपने विभिन्न परिपत्र दिनांकित 5 जनवरी, 2023 (के साथ पठित परिपत्र दिनांकित 13 मई, 2022, दिनांकित 15 जनवरी, 2021 एवं दिनांकित 12 मई, 2020) ("सामूहिक रूप से लागू परिपत्रों के रूप में संदर्भित") के हवाले से कम्पनियों के एजीएम का आयोजन, आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी/ओवीएम") के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है। इन लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी की 62वीं वार्षिक आम बैठक आयोजन एजीएम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। अतः सदस्य एजीएम में मात्र वीसी/ओवीएम के माध्यम से उपस्थित हो सकते एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में सम्मिलित होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में एवं सरकार की गो-ग्रीन पहल को आगे बढ़ाने के क्रम में, एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजी जाएगी जिनका ईमेल पता कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट [www.rswm.in](http://www.rswm.in) तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध होंगे।

सदस्य ध्यान दें कि कम्पनी के निदेशक मंडल ने 26 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंकित मूल्य रुपये 10/- प्रति शेयर पर रुपये 5/- (50%) प्रति शेयर के लाभांश, 62वीं एजीएम में कम्पनी के सदस्यों के अनुमोदन के विषयस्वरूप, की अनुशंसा की है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र सदस्यों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए तिथि **शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023** है।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें **शनिवार, 9 सितम्बर, 2023 से शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक** कम्पनी की 62वीं वार्षिक आम बैठक तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लाभांश के भुगतान, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगे। लाभांश का भुगतान, यदि घोषित किया जाता है तो एजीएम की तिथि से 30 दिनों के अन्दर, उन सदस्यों को विभिन्न ऑनलाइन हस्तांतरण मोड के माध्यम से किया जाएगा, जिन्होंने – डीमैट के तौर पर धारित शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी के साथ तथा भौतिक तौर पर धारित शेयरों के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रान्सफर एजेंट के साथ अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। जिन सदस्यों ने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/चेक अनुमत माध्यम से उनके पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे।

कम्पनी एजीएम में संपादित किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इस प्रयोजन हेतु, कम्पनी ने नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा हेतु अधिकृत एजेंसी के तौर पर व्यवस्था की है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **मंगलवार, 12 सितम्बर, 2023 (9:00 बजे पूर्वाह्न) से प्रारम्भ होगी तथा बृहस्पतिवार, 14 सितम्बर, 2023 (5:00 बजे अपराह्न) समाप्त होगी। शुक्रवार, 8 सितम्बर, 2023 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार**, भौतिक रूप में या डीमैट/रियलाइज्ड रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके उपरान्त ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जो वीसी/ओवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हों और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्र होंगे।

वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में, **कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 8 सितम्बर, 2023** को दर्ज हो, मात्र वे ही रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक आम बैठक में वोट करने का पात्र होगा। डीमैट/रियलाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयर रखने वाले एवं जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई-वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया जाएगा।

**ईमेल पते के पंजीकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया गया, प्राप्त करने के अधिदेश की प्रणाली:**

सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रान्सफर एजेंट अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) को पंजीकरण के लिए अपने ईमेल पते और बैंक खाते का विवरण प्रदान करें। इन्हें पंजीकृत करने की प्रक्रिया नीचे उल्लिखित है:

<b>भौतिक होल्डिंग के मामले में</b>	कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजेंट अर्थात् <b>एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड (यूनिट: आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड) एफ-65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज- I, नई दिल्ली -110020</b> को फॉर्म ISR-1 में सहायक दस्तावेजों सहित विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजें या उसकी स्कैन की गई प्रति <a href="mailto:helpdeskdelhi@mcsregistrars.com">helpdeskdelhi@mcsregistrars.com</a> पर ईमेल करें तथा ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: <b>क)</b> फोलियो नंबर, <b>ख)</b> शेयरधारक का नाम, <b>ग)</b> ईमेल पता, <b>घ)</b> पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), <b>ङ)</b> आधार की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), <b>च)</b> शेयर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (आगे व पीछे) बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण/दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है: <b>क)</b> बैंक का नाम तथा शाखा जिसमें आप लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, <b>ख)</b> बैंक खाता प्रकार, <b>ग)</b> बैंक खाता संख्या, <b>घ)</b> MICR कोड संख्या, <b>ङ)</b> आईएफएससी कोड, एवं <b>च)</b> प्रथम शेयरधारक के नाम वाले रद्द किए गए चेक की प्रति
<b>डीमैट होल्डिंग के मामले में</b>	कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाता में पंजीकृत करें।

जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं या जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किया है, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक के दौरान एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं।

सदस्य आगे ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961, (इसके आगे आईटी अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अनुसार, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है, 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद कम्पनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। अतः कम्पनी को उक्त लाभांश, यदि आगामी एजीएम में घोषित किया जाता है, के भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी। टीडीएस की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति एवं कम्पनी के शेयरधारक द्वारा जमा किए गए तथा कम्पनी द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग होगी। तदनुसार, लागू टीडीएस दरों के अनुसार टीडीएस काटने के बाद लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि आवश्यक दस्तावेज/घोषणाएं कम्पनी को [tds.rswm23@lnjbhilwara.com](mailto:tds.rswm23@lnjbhilwara.com) पर/कम्पनी के आरटीए अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड को प्रस्तुत करें ताकि कम्पनी लाभांश के भुगतान पर उचित टीडीएस दर लागू करने में सक्षम हो। इस संबंध में, 21 जुलाई, 2023 को सभी शेयरधारकों को "वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लाभांश में स्रोत पर कर की कटौती पर सामान्य संचार" भेजा गया था एवं इस संचार की प्रति कम्पनी की वेबसाइट के लिंक <https://www.rswm.in/Intimation-Communication-of-TDS-on-Dividend> पर उपलब्ध है।

किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य <http://www.evoting.nsdl.com> के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्यू) तथा सदस्यों हेतु एजीएम में भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका संदर्भित कर सकते हैं अथवा 022-4886 7000 एवं 022-2499 7000 पर कॉल करें अथवा सुशी पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेजें।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र(ओं) के अनुपालन में है।

मंडल के आदेशानुसार  
कृते आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड  
हास्ता/-  
सुरेन्द्र गुप्ता  
वी.पी. लीगल व कम्पनी सचिव  
एफसीएस-2615